(संशोधित-पत्र)

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/पात्रता/2021/ 724 दिनांक : 20/09/21

प्रति,

प्राचार्य/निदेशक/विभागाध्यक्ष,
समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय/अध्ययनशाला/संस्थान,
विक्रम विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र।

विषय :- आनलाईन पात्रता विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विद्यार्थियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए पात्रता प्रमाण-पत्र संबंधी स्पष्टीकरण -"10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित या अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है। स्पष्टीकरण - मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./एम.पी. बोर्ड से मुक्त बोर्ड (Open Board)/एम.पी.बोर्ड/पोर्टल पर प्रदर्षित मान्य बोर्ड से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो,ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिये किसी भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

अन्य राज्यों से 12 वीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।"विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाईन पात्रता (Eligibility) प्रक्रिया एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से की जावेगी। सम्बन्धित विद्यार्थी एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से पात्रता हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। उसके उपरांत वे नामांकन एवं परीक्षा फार्म ऑनलाईन जमा करवा सकेगे। समस्त अध्ययनशालाएं,संस्थान महाविद्यालय अपने एम.पी. ऑनलाईन के G2G लॉगिन पर उपलब्ध पात्रता संबंधी प्राप्त ऑनलाईन आवेदन परीक्षण उपरान्त विश्वविद्यालय को अनुशंसा सहित अग्रेषित करेंगे। उक्त जानकारी सूची के आधार पर आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उक्त अनुमोदित प्रकरणों पर पृथक से पात्रता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जावेगा।

विश्वविद्यालय को एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त होने वाले पात्रता आवेदनों पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया जा कर ऑनलाईन के माध्यम से उनकी पात्रता निर्धारित कर दी जाती है। जिसकी समस्त जानकारी सम्बन्धित महाविद्यालय के एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल अकाउन्ट पर तत्समय उपलब्ध रहती है।अनुमोदित पात्रता की समस्त सूची ऑनलाईन(पात्रता) विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन में जमा करावे। पात्रता संबंधी ऐसे प्रकरण जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम दृष्टया ऑनलाईन के माध्यम से अनुमोदित नहीं किया गया है। ऐसे प्रकरण संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य अपनी टीप के साथ पृथक से विश्वविद्यालय को प्रेषित करें एवं अनुमोदन उपरांत पात्रता प्राप्त विद्यार्थी ही संबंधित परीक्षा में प्रविष्ठ होने की अर्हता रखेंगे।

प्राचार्यगण कृपया तदनुसार विद्यार्थियों को सूचित करें एवं उक्त सूचना को सूचना पटल पर भी अनिवार्य रूप से चस्पा करने का कष्ट करें।

आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/पात्रता/2021/ 725 **दिनांक :** 20/09/21

प्रतिलिपि :-

01. विभागाध्यक्ष/निदेशक, समस्त अध्ययनशालाऐं/संस्थान, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
02. प्राचार्य, समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय,परिक्षेत्र।
03. संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
04. उप/सहायक कुल सचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
05. प्रभारी,कम्प्यूटर सेन्टर/वेबसाईट की ओर प्रेषित कर सूचित है कि,उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
06. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन। की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

उपकुलसचिव(अकादमिक)

78 E/New Fold./Dextop/Patrta